न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/5461/2005/नागौर

1– फरीद मोहम्मद पुत्र हाजी अलारख जाति मुसलमान बन्दूकिया लौहार निवासी ग्राम बीटन हाल निवासी मेड़तासिटी (मृतक) जरिये वारिसानः–
1/1 मोहम्मद युनूस) पुत्रगण फरीद मोहम्मद
1/2 मोहम्मद तैयब)
1/3 मोहम्मद मुजीब)
समस्त जाति मुसलमान बंदुकिया लौहार निवासी मेड़तासिटी तह. मेड़ता जिला नागौर।

...अपीलान्ट

बनाम

1– ग्राम पंचायत बड़गांव जरिये सरपंच
2– राजस्थान सरकार

...रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य
श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य

उपस्थितः–
श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से ।
श्री अजीतसिंह राठौड़, अभिभाषक, प्रत्यर्थी की ओर से।

———

दिनांकः 14–1–2021

निर्णय

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–5–2005 जो की न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या 158/2004 में पारित किया।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी फरीद मोहम्मद ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पेश किया कि ग्राम बीटन की सरहद में खसरा नम्बर 291 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा गैर मुमकिन पड़तल कुआ था, जो कुआ क्षतिग्रस्त हालत में अनुपयोगी हालत में था, जिसमें पानी नहीं था व काफी हद तक कुआ मिट्टी से भरा हुआ था। उक्त बेरा खण्डहर हालत में था, जिसका उपयोग उपभोग किसी के द्वारा किये जाने योग्य नहीं होने से उसका कोई उपयोग नहीं था। वादी ने उक्त कुए को कृषि उपयोगी योग्य, सिंचाई योग्य बनाने के लिए

कब्जा किया व निरन्तर प्रयास करते रहा। वादी ने उक्त कुआ पर काफी रूपये लगाकर सिंचाई योग्य बनाया। राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि अति. तहसीलदार मेड़ता ने वादी का उक्त कुआ में स्वामित्व अधिकार स्वीकार किया, किन्तु कुछ लोगों की बदनियती से आम जनता के नाम से कार्यवाही कर वादी के स्वामित्व अधिकार प्राप्त आदेश को चुनौती देकर उक्त आदेश का निरस्त करवाया तब वाद वादी प्रस्तुत करना पड़ा। उक्त वाद विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09–9–2004 से खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिन्होंने अपने आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–6–2005 से वादी/अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– हमने पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी तहसीलदार मेड़ता द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 26–12–1969 को आवंटित की गई थी इसके पूर्व यह भूमि अविकसित भूमि थी जिसे अपीलान्ट द्वारा काफी खर्चा कर कृषि योग्य बनाया गया तथा कुए को खुदवाकर इससे सिंचाई एवं अन्य कार्यों हेतु काम में लेता रहा है। उनका यह भी कथन है कि अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक नामान्तकरण को चुनौती दिये जाने पर उक्त नामान्तकरण निरस्त कर दिया इसलिए विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करना पड़ा। वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि वाद में सात तनकीयात कायम की गई जिसमें से प्रथम तीन तनकीयात संयुक्त रूप से निर्णित की गई है तथा तनकी संख्या 4 से 6, तनकी संख्या 1 के आधार पर निर्णित की गई है। उनका यह भी कथन है कि वाद में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किये गये है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में वकील अपीलान्ट ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5– वकील रेस्पोन्डेन्ट्स ने प्रत्युत्तर में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा संख्या 291 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा गैर मुमकिन बेरा राजस्थान सरकार दर्ज थी जो ग्राम के मवेशियों के काम आता था। उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी सार्वजनिक भूमि है जिस पर विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने

2011 (2) आरआरटी 721 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया। वकील प्रत्यर्थी का यह भी कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा निर्मित तनकीयात की प्रकृति समान होने से उन्हें संयुक्त रूप से निर्णित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं है। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में समवर्ती निष्कर्ष प्रतिपादित किये गये है जिनमें द्वितीय अपीलीय स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अंत में वकील प्रत्यर्थी ने अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

6— हमनें पक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/अपीलान्ट का विवादित आराजी खसरा संख्या 291 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम बीटन तहसील मेड़ता का आवंटन अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा दिनांक 26—12—1969 को किया गया था। उक्त आवंटन को ग्रामवासियान द्वारा जिला कलक्टर, नागौर के समक्ष चुनौती दी गई। जिला कलक्टर अपने आदेश दिनांक 01—5—1974 से वादी/अपीलान्ट को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 01—5—1974 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष चुनौती दी गई, जिसे राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07—8—1976 को खारिज कर दिया। अपीलान्ट ने राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी पेश की जो भी खारिज की गई है। राजस्व मण्डल के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 242/77 प्रस्तुत की गई जिसे भी माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। इस प्रकार अपीलान्ट का आवंटन अंत तक खारिज ही रहा। इसके पश्चात वादी/अपीलान्ट ने विवादित आराजी बाबत घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09—9—2004 से खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अपने आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30—6—2005 से खारिज कर दी। उक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वादी का आवंटन नियम विरूद्ध होकर प्रारम्भ से ही शून्य था जिसे विचारण न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक निरस्त किया गया है। हमारी सुविचारित राय में विवादित आराजी सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिसे किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत उपयोग हेतु आवंटित नहीं किया जा सकता है। जब वादी का आवंटन उच्च न्यायालय तक खारिज किया तो वादी का विवादित आराजी पर कब्जा मात्र अतिक्रमी की हैसियत से ही था और एक अतिक्रमी घोषणा का वाद नहीं ला सकता है। विचारण न्यायालय तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादी का वाद व अपील सही रूप से खारिज की

गई है जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में समवर्ती निष्कर्ष प्रतिपादित किये गये है जिसमें गुणावगुण पर विचार पश्चात् हम इस अपील के माध्यम से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है और यह अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8— परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर एवं उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 30—6—2005 व 09—9—2004 यथावत रखे जाते हैं।

(हरिशंकर गोयल)
सदस्य

(महेन्द्र कुमार पारख)
सदस्य